राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः एफ–3(ख)/डी– 335/88/अलेसे–II 178 दिनांक– 8-5-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री दिनेश चंद टांक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग कोटा से उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग, कोटा में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री टांक द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री दिनेश चंद टांक को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 8/5/2018 मध्यान्ह पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते है कि श्री टांक नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री दिनेश चंद टांक को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें** अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांकः एफ–3(ख)/डी– 335/88/अलेसे–II 178 दिनांक– 8-5-18

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग कोटा।
2. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग, कोटा।
3. श्री दिनेश चंद टांक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग कोटा।
4. ए०सी०पी०(मु०) वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)